भी है जो गै.मु. सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 1392 के खातेदार को भी पक्षकार नहीं बनाया है इसके साथ ही पत्थरगढ़ी की आवश्यकता है अथवा नहीं इसके लिये प्रार्थीगण को चाहिये था कि अपनी भूमि की पैमाईश करवाने के पश्चात, पैमाईश कार्यवाही के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते। पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान आवेदन, इस बाबत की गई किसी कार्यवाही का अभाव है। जिससे प्रकरण में वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता है इस प्रकार प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने व हितबद्ध पक्षों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

26/05/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाव उप.।

उपस्थित वकुलाव की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाव की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थीगण ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नं. 1389 व 1390 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.6301 हैक्टर के सहखातेदार है तथा इनके साथ में कन्हैयालाल, केसाराम पिसराम मोहनलाल माली एवं जीवराज पुत्र पेमा भी सहखातेदार है। इन सहखातेदारान को प्रार्थीगण ने उक्त प्रा. पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही उनकी कोई सहमति भी ली है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त प्रा. पत्र पक्षकारो के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1389, 1390 व 1391 की पत्थरगढी करवाने का आवेदन किया है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व खसरा नं. 1391 के बीच में खसरा नं. 1392

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner